कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

Email-dfomedininagarforestdivision@gmail.com&dfo-medininagar@gov.in Phone No-06562-222536

पत्रांक– 1894 दिनांक– 24/6/21

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

सेवा में,

श्री बासुदेव गंगोपाध्याय,
Gm & Head (Geology & Enviroment)
हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
लोहरदगा।

विषयः– पलामू जिलान्तर्गत मौजा– जुझार सिकनी, प्रखण्ड– हुसैनाबाद, थाना–हुसैनाबाद, थाना नं0– 476 के नया (RS) खाता संख्या–02, प्लॉट संख्या– 173,174,228,229,232,233,234,264 एवं 308, पुराना (CS) खाता संख्या–20 एवं 21, प्लॉट संख्या– 76,78,81,82,83 एवं 97 में रकबा 25.42 एकड़ गैर वन भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक HIL/JH/LHD/FC/BAG/154A दिनांक 06.07.2020 एवं पत्रांक HIL/JH/LHD/FC/BAG/90, दिनांक 18.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में पलामू जिलान्तर्गत मौजा– जुझार सिकनी, प्रखण्ड– हुसैनाबाद, थाना–हुसैनाबाद, थाना संख्या–476 के नया (RS) खाता संख्या–02, प्लॉट संख्या–173,174,228,229,232,233,234,264 एवं 308, पुराना (CS) खाता संख्या–20 एवं 21, प्लॉट संख्या–76,78,81,82,83 एवं 97 में रकबा 25.42 एकड गैर वन भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता संबंधी उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Suitability Certificate) Hisri (Old) बॉक्साईट माईंस हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, लोहरदगा, जिला–लोहरदगा हेतु निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

1– अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद अंचल के पत्रांक 118, दिनांक 03.08.2020 द्वारा प्राप्त स्वामित्व प्रमाण के अनुसार उक्त भूमि पर श्री विजय कान्त डे, पिता– राधा कान्त डे, ग्राम– जुझार सिकनी, प्रखण्ड– हुसैनाबाद, थाना– हुसैनाबाद, थाना संख्या–476 वगैरह के नाम ज़मा बन्दी कायम है तथा उक्त भूमि स्वामियों द्वारा आपके कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को बिक्री हेतु एकरारनामा किया गया है।

2– जिला अवर निबंधक, पलामू के पत्रांक 344 दिनांक 03.11.2020 द्वारा संपत्ति अवभार प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

3– अपर समाहर्ता, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 1025 दिनांक 04.08.2020 द्वारा अंचल– हुसैनाबाद अन्तर्गत मौजा–जुझार सिकरी, थाना नं0–476, जिला– पलामू का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त है।

E:\Noc Final 2021-22 Srikant.doc

4— उपरोक्त 25.42 एकड़ गैर वन भूमि पाया गया कि विवरणी के साथ मानचित्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र के पत्रांक 03 दिनांक 27.01.2021 द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा निर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र के आलोक में 25.42 एकड़ चिन्हित गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनरोपण हेतु ग्राह्य प्रमाण पत्र निर्गत (Suitability Certificate) Hisri (Old) बॉक्साईट माईंस हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, लोहरदगा, जिला—लोहरदगा हेतु इस शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है कि भविष्य में यदि उक्त वर्णित भूमि पर यदि किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य, स्वामित्व संबंधी विवाद, किसी बैंक से ऋण प्राप्ति की सूचना या अतिक्रमण पाया जाता है तो यह भूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए ग्राहय नहीं होगा। भविष्य में यदि कोई आवेदित प्लॉट/भूमि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या— 202/95 में पारित अंतरिम आदेशानुसार पारिभाषित वन भूमि की श्रेणी में आता है एवं उस पर कोई गैर वानिकी कार्य किया जाता है तो दिया गया उपयुक्तता प्रमाण पत्र स्वतः रद्द समझा जायेगा।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

24.6.2021

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

24.06.2021 24/6/21